

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 25, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पालिटेक्निक कॉलेजों के अतिथि व्याख्याताओं के साथ अन्याय किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य, सागर जिले में कचरा जलाने एवं राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी स्थित औद्योगिक ईकाईयों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य भोपाल से सिरोंज सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड के आर्य नगर में एक युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री दिनेश राय, सदस्य, सिवनी नगर पालिका द्वारा जल शोधन कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्ना एवं सौंसर क्षेत्र में कपास का समर्थन मूल्य न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बाला बच्चन, रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले में रिन्त्यु सोलर पॉवर लिमिटेड में कार्यरत श्रमिकों को सेवा से पृथक किये जाने की ओर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, कृषि विभाग द्वारा लाईट ट्रेप खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, चन्दला क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री सज्जन सिंह उईके, सदस्य, भोपाल, इंदौर एवं रायसेन में कोयले का अवैध भण्डारण किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बानसुजारा बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान विषय न पढ़ाये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, मंदसौर-नीमच एवं रतलाम जिलों में अफीम उत्पादक कृषकों का शोषण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी स्थित राईस मिलों द्वारा अवैध रूप से धान खरीदी में कर की चोरी किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री विष्णु खत्री, सदस्य, बैरसिया में भूखण्डों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले में मृत हैण्ड पंपों के स्थान पर नये हैण्ड पंप का खनन नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र के अनेक ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(18) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य, मेगनेट सिटी साडा ग्वालियर के किसानों के क्रेडिट कार्ड न बनाये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश में नकली एवं अमानक स्तर के कीटनाशक की बिक्री किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश में स्प्रीकलर पाईप खरीदी में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले में चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले में पेयजल योजनाएं बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, नागदा स्थित आरसिल केटेलिस्ट प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्रदूषण फैलाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खंडवा जिले के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना अंतर्गत घटिया सड़क का निर्माण किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री अजय सिंह, सदस्य, बुंदेलखंड पैकेज हेतु आवंटित राशि का उपयोग न होने की ओर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री अजय सिंह, सदस्य, भोपाल के समीप केरवा कलियासोत के जंगलों में रह रहे बाघों को संरक्षण न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री अजय सिंह, सदस्य, राज्य शासन द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर में मलेरिया एवं डेंगू मच्छरों के प्रकोप से मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के लवकुशनगर व गौरीहार क्षेत्र में सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री सतीश मालवीय, सदस्य, उज्जैन के घट्टिया में बस स्टैण्ड एवं यात्री निवास का निर्माण न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर शहर में शराब नीति का पालन न किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन के सिंहस्थ के लिये तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ठिकरिया बांध से पानी बहाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य, नरसिंहगढ़ क्षेत्र के कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, मालवा क्षेत्र में कपास बीज का विक्रय महंगे दामों पर किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य, बुरहानपुर जिले में स्वकराधान योजना अंतर्गत राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(37) श्री जितू पटवारी, सदस्य, इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों के पक्ष में न्यायालय के आदेश का पालन न किये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) पंडित रमेश दुबे, सदस्य, होशंगाबाद स्थित मंदिर प्रबंधन द्वारा न्यास की संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, सुवासरा क्षेत्र में पवन चक्की द्वारा नियमों का पालन न किये जाने की ओर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में नगर निगम की उपेक्षा से यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित होने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र की नलजल योजना प्रारंभ न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में हैण्डपंप खराब होने से पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, प्रदेश में लहसुन खरीदी में क्रय नियमों का पालन न किये जाने की ओर उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, सारणी पॉवर हाऊस द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री हर्ष यादव, सदस्य, प्रदेश में कोडीन फास्फेट मिश्रित फैन्सीडिल कफ का नशे के रूप में उपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य, ग्वालियर जिले के भितरवार एवं घाटीगांव तहसील को सूखा ग्रस्त घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, बड़वानी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय हेतु अधिक दर से सामग्री का क्रय किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में कृषि पंपों के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) सर्वश्री तरुण भनोत, रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश में पेयजल हेतु पाईप खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्राम नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के डूब क्षेत्र में आने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री रमेश मैदोला, सदस्य, इंदौर नगर निगम को हस्तांतरित कालोनियों का विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य, जबलपुर में राशन की दुकानों को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, चाचौड़ा क्षेत्र के ग्राम केदारपुरा में निर्मित रैन बसेरा में अतिक्रमण होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(55) श्री राजेश सोनकर, सदस्य, सांवेर क्षेत्र में पेट्रोलियम कंपनियों के कारण पेयजल प्रदूषित होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, चंबल संभाग में नदियों से जमीन का कटाव होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री कैलाश चावला, सभापति विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.”

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के चोरल नदी पर ब्रीज एवं 11/2 कि.मी. मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
 - (2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के –
 - (क) ग्राम कठोटिया के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम बसुरिया के शा. हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
 - (3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-
 - (क) ग्राम हीरापुर में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
 - (ख) धमना, केरपानी, झामर के स्कूलों में गणित, बायोलॉजी, साइंस विषय प्रारंभ किये जाने,
 - (4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के –
 - (क) ग्राम जैतगढ़ से पोणी एवं चंदना तक के पहुँच मार्ग हेतु सड़क का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ख) जवेरा के तेजगढ़ धुनगी नाले पर पुल बनाये जाने,
 - (5) श्रीमती शकुन्तला खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम फतेहपुर में हाई स्कूल खोले जाने,
 - (6) श्री नथनशाह कवरेती, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के- नवेगांव में कॉलेज खोले जाने,
 - (7) श्री राम प्यारे कुलस्ते, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम घोटा के ग्रामवासियों को, जिनके मकान रोड निर्माण में विस्थापित हो रहे हैं, मुआवजा एवं पुनर्वास कराये जाने,
 - (8) श्री घनश्याम पिरोनियाँ, सदस्य, दतिया जिले की तहसील कार्यालय भाण्डेर को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराये जाने,
 - (9) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, सिंगरौली जिले के नवानगर शा.पू. मा.विद्यालय एवं अन्य को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (10) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के डारगुंवा या मलगुंवा में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,
 - (11) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम कमलपुरा में नवीन रपटा कम स्टाप डेम बनाये जाने,
 - (12) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम अजयपुरा तालाब का गहरीकरण कराये जाने,
 - (13) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के दिमनी में शा. महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने,
 - (14) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के सुठालिया नगर में खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
 - (15) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के बरेठा मोहल्ले तथा में एक नवीन हेण्डपंप खनन किये जाने,
 - (16) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कातोली से खामी मार्ग पर नाहरा नदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
 - (17) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के मुख्य मार्ग जुरतरा से हिनौतिया का डामरीकरण किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित
समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- 1 घण्टा (1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) पर विचार किया जाए।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
- 30 मि. (2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) पर विचार किया जाए।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
- 30 मि. (3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) पर विचार किया जाए।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
- 30 मि. (4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पर विचार किया जाए।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
- 30 मि. (5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) पर विचार किया जाए।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

- (1) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2013-14) पर चर्चा का पुनर्ग्रहण।
- (2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत उन्नीसवें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा।

भोपाल :
दिनांक : 15 दिसम्बर, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा